निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 ज्येष्ठ 1937 (श0)

(सं0 पटना 589) पटना, शुक्रवार, 22 मई 2015

समाज कल्याण विभाग
(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

अधिसूचना

20 मई 2015

बिहार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद्

सं0 ICDS/40040/06-2012/2127—भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा नीति 20 सितम्बर, 2013 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई, जिसके आलोक में 26 फरवरी, 2014 को संकल्प के द्वारा राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद् का गठन हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के इस संकल्प में वर्णित नीति के तहत राज्य स्तर पर राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद् के गठन करने की परिकल्पना की गई है।

राज्य स्तरीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद् (ईसीसीई) बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत राज्य स्तर की परिषद् होगी, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए ढाँचागत तथा कार्यात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देगी।

1. राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद् की संरचना :

(1) माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग	–	अध्यक्ष
(2) सचिव, समाज कल्याण विभाग	–	उपाध्यक्ष
(3) अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग	–	सदस्य
(4) सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	–	सदस्य
(5) सचिव, वित्त विभाग	–	सदस्य
(6) सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	–	सदस्य
(7) सचिव, शिक्षा विभाग	–	सदस्य
(8) सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग	–	सदस्य
(9) सचिव, योजना विभाग	–	सदस्य
(10) निदेशक, आई.सी.डी.एस.	–	सदस्य सचिव
(11) वित्त सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	–	सदस्य
(12) राज्य प्रतिनिधि, यूनिसेफ बिहार	–	सदस्य

(13) निपसिड से ईसीसीई विशेषज्ञ – सदस्य
(14) अपर महाअधिवक्ता (विधि विभाग द्वारा मनोनीत सदस्य, का कार्यकाल दो वर्षो का होगा) – सदस्य

सदस्य सचिव, परिषद् के अध्यक्ष /उपाध्यक्ष की अनुमति से ईसीसीई विशेषज्ञों, विकास साझेदारों आदि को सहयोजित एवं आमंत्रित कर सकते हैं। राज्य परिषद् वर्ष में कम–से–कम दो बार बैठकों को आहूत करेगी एवं परिषद् के निर्णय के अनुसार और/या समय–समय पर सरकार के निदेश के अनुसार बैठकें की जा सकेंगी।

2. उद्देश्य :

राज्य ईसीसीई परिषद् का मुख्य उद्देश्य 0–6 वर्ष की आयु वर्ग के छोटे बच्चों के लिए अपेक्षित गुणवत्ता के साथ–साथ सर्वांगीण तथा समेकित विकास के लिए अवधारणा तथा कार्य–प्रणाली बनाना है। इसे व्यापक स्तर पर ईसीसीई प्रणाली स्थापित करके समेकित संरचना विकसित कर प्राप्त किया जाएगा, जो बहु–मॉडल, बहु–घटक उपायों, दीर्घकालिक डाटा संकलन, योजना निर्माण, अंतर–क्षेत्रीय सेवा पद्धतियों और प्लेटफार्मों को सुगम बनाते हुए, उनकी सहायता करके राज्य में ईसीसीई कार्यक्रम की बुनियाद को सुदृढ़ बनाने में योगदान देगा।

राज्य में ईसीसीई परिषद् संबंधित नीतियों को बढ़ावा देकर पेशेवरों एवं कार्यकर्ताओं सहित परिवारों, समुदायों तथा पूरे समाज में साक्ष्य आधारित प्रथाओं को आगे बढ़ाएगी। यह विनियामक तंत्र भी निर्धारित करेगी तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पद्धति के मानदंडों तथा मानकों और इससे संबंधित मामलों के लिए मानदंडों एवं मानकों के उपयुक्त अनुपालन का सुनिश्चिय करेगी।

3. अवधारणा :

यह स्वीकार करते हुए कि बाल विकास सतत् एवं संचयी प्रक्रिया है जो जीवन चक्र के दृष्टिकोण का अनुसरण करती है, व्यापक बाल विकास की दिशा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा साक्ष्य आधारित संकल्पना और प्रथाओं को दृढ़तापूर्वक स्थापित करना।

4. लक्ष्य :

- उत्तरदायी कार्यकर्ताओं में ईसीसीई के परिणामों के लिए समान जिम्मेदारी को बढ़ावा देना।
- गुणवत्ता का सुनिश्चिय करना, साक्ष्य आधारित साधन, संसाधन, प्रक्रियाएँ, पद्धतियाँ तथा जागरूकता सामग्री उपलब्ध कराना।
- ईसीसीई के सभी पहलुओं में सुधार के लिए प्रणालियाँ एवं नेटवर्क विकसित करना, सहायता देना एवं स्थापित करना।
- सतत् गुणात्मक सुधार के प्रति वचनबद्धता के साथ परिणामों तथा संकेतकों को विनियमित करना, उनका पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना।

5. परिणाम :

- समग्र, एकीकृत तथा उचित बाल विकास प्राप्त करना और विकास में विलंब पर रोक लगाना।
- गुणात्मक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा सेवाओं की व्यापक तथा स्थाई प्रणालियाँ।
- ईसीसीई क्षेत्र के बारे में सार्वजनिक जागरूकता तथा विशेषज्ञता में सुधार।

6. अधिदेश :

(i) ईसीसीई के कार्यक्रमों एवं सेवाओं के लिए नीतियाँ, कार्यान्वयन दिशा–निर्देश निर्धारित करना।
(ii) ईसीसीई में व्यवस्थित सुधार लाने और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए ईसीसीई की जानकारी का विकास करना, प्रसार करना और उपयोग करना हेतु समिति को निदेशित करना।

7. राज्य ईसीसीई परिषद् के कार्य :

राज्य ईसीसीई परिषद् का यह कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाए जो उसे ईसीसीई के मानकों के निर्धारण और उन्हें कायम रखने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा की नीतियों, रूपरेखाओं तथा अन्य प्रावधानों का योजनाबद्ध और समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रतीत हों। राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के अन्तर्गत अपने कार्यों के निष्पादन के लिए परिषद् निम्नलिखित कार्य कर सकती है:–

(i) नीतियों के कार्यान्वयन में सुधार करने तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा के संबंध में सरकार की उपयुक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों को तैयार करने के मामले में सरकार को रणनीति संबंधी निदेश तथा परामर्श देना।
(ii) राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के लिए समग्र योजना का नेतृत्व करना।
(iii) राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी ईसीसीई गतिविधियों का नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व करना तथा सुनिश्चित करना कि वे अच्छी तरह नियोजित, कार्यान्वित एवं मूल्यांकित हों।
(iv) ईसीसीई सेवा प्रदायगी में साम्यपूर्ण एवं तर्कसंगत विधियाँ लाने के लिए दिशा–निर्देश निर्धारित करना।
(v) सभी छोटे बच्चों के इष्टतम ईसीसीई सेवाएँ सुनिश्चित करना।
(vi) ऐसी प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित करना जो ईसीसीई के लिए जोखिम कारकों को घटाएँ तथा ईसीसीई के लिए संरक्षी कारकों/उपायों का बढ़ावा दें।

(vii) ईसीसीई प्रावधानों के व्यावसायीकरण तथा बच्चों के विकास की दृष्टि के अनुपयुक्त शिक्षा को रोकने के लिए सभी अनिवार्य कदम उठाना।

(viii) शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विकास पर सलाह देना।

(ix) ईसीसीई कार्यों का आगे बढ़ाने के लिए निदेशों/निर्णयों के अनुसार विषयपरक समितियाँ गठित कर सकती है।

(x) ईसीसीई से संबंधित बृहत्तर क्षेत्र में ऐसे कार्य करना जो उपयुक्त हों या सरकार द्वारा इसे सौंपे गए हों, या संबंधित मंत्रालयों और प्राधिकरणों के सहयोग से हों।

(xi) ईसीसीई से संबंधित ऐसी सभी कार्य जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा सौंपे अथवा आवश्यक प्रतीत हो।

8. कार्यक्षेत्र :

राज्य ईसीसीई परिषद् को तकनीकी विशेषज्ञता एवं दक्षता निर्मित करने और ईसीसीई के क्षेत्र में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए ऐसे विषयों पर जिन्हें संगत समझा जा सकता है, विषयपरक/ तकनीकी समितियाँ गठित/सृजित करने का अधिकार होगा।

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतिलिपि बिहार सरकार के सभी विभागों को भेजी जाए तथा आम सूचना के लिए अधिसूचना को बिहार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 589-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in